वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi – 110001

सं./No.: 5-1(814)/2022-पीडी दिनांक/Dated : 17.03.2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय: "आरएबी, सीएसआईआर के अध्यक्ष पद के लिए भर्ती नियमावली, 2025" की अधिसूचना - के संबंध में।
Sub: Notification of "Recruitment Rules, 2025 for the post of Chairperson, RAB, CSIR" - reg.

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासी निकाय, सीएसआईआर ने दिनांक 03.01.2026 को आयोजित अपनी 211वीं बैठक में "आरएबी, सीएसआईआर के अध्यक्ष पद के लिए भर्ती नियमावली, 2025" पर विचार और अनुमोदन किया है।

The undersigned is directed to state that GB, CSIR in its 211th meeting held on 03.01.2026 has considered and approved Recruitment Rules, 2025 for the post of Chairperson, RAB, CSIR.

2. "आरएबी, सीएसआईआर के अध्यक्ष पद के लिए भर्ती नियमावली, 2025" सभी संबंधितों की सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

2. The "Recruitment Rules, 2025 for the post of Chairperson, RAB, CSIR" are enclosed herewith for information, guidance, and necessary action of all concerned.

3. यह भी सूचित किया जाता है कि अंग्रेजी संस्करण और इसके हिंदी अनुवाद के बीच किसी भी विसंगति अथवा असंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के नियम हमेशा मान्य होंगे।

3. It is also informed that the English version of these rules shall always prevail in case of any discrepancy or inconsistency between the English version and its Hindi version.

17/3/26

(अमरेन्द्र कुमार/Amrendra Kumar)
अवर सचिव (नीति)/ Under Secretary (PD)

संलग्न/ Encl.: यथोपरि/ As above

सेवा में/ To,

1. अध्यक्ष, आरएबी/ Chairman, RAB
2. प्रमुख, आरएबी/ Head, RAB
3. उपसचिव (निदेशक भर्ती प्रकोष्ठ)/ DS (Director Recruitment Cell)

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. उपाध्यक्ष, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o Vice President, CSIR
2. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o DG, CSIR
3. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान/ The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o JS, (Admn), CSIR
5. वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o FA, CSIR
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o CVO, CSIR
7. क़ानूनी सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o LA, CSIR

8. सीएसआईआर-मुख्यालय के सभी वैज्ञानिक निदेशालयों के प्रमुख/ Heads, All Scientific Directorates of CSIR-Hqrs.
9. संस्थानों / मुख्यालयों / इकाइयों के वरिष्ठ उपसचिव /वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ उपसचिव / प्रशासन नियंत्रक / अवर सचिव / प्रशासनिक अधिकारी/ All Sr.DS/Sr.CoA/DS/CoA/US/AO of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units
10. संस्थानों / मुख्यालय / इकाइयों के वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ वित्त नियंत्रक/उप वित्तीय सलाहकार/ वित्त नियंत्रक/ वित्त एवं लेखा अधिकारी/ All Sr.Dy FA/Sr CoFA/Dy FA/CoFA/FAO of all CSIR National/Labs./Instts./ Hqrs./Units
11. अवर सचिव (समिति अनुभाग)/ US (Committee Section)
12. सीएसआईआर वेबसाइट/ CSIR Website
13. कार्यालय प्रति/ Office Copy

"अध्यक्ष, आरएबी, सीएसआईआर के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2025"

1. अधिनियमन:

सीएसआईआर के नियमों और विनियमों एवं उपविधियों की उपविधि 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीएसआईआर का शासी निकाय सीएसआईआर के भर्ती और मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) में रखे जाने वाले अध्यक्ष, आरएबी, सीएसआईआर के पद हेतु निम्नांकित भर्ती नियम प्रस्तुत करता है ।

2. संक्षिप्त शीर्षक एवं अधिनियम:

इन नियमों को "अध्यक्ष, आरएबी, सीएसआईआर के पद हेतु भर्ती नियमावली, 2025" के नाम से जाना जाएगा, जिसे सीएसआईआर के भर्ती और मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) में रखा जाएगा और ये अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

3. नियमों का दायरा:

ये नियमावली, अध्यक्ष, आरएबी, सीएसआईआर के पद पर भर्ती और नियुक्ति के संबंध में लागू होगी ।

4. परिभाषाएँ:

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो: -

क. "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्राय 'नियम 10' में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है ।
ख. “बोर्ड” से अभिप्राय सीएसआईआर द्वारा स्थापित भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) से है, जैसा कि सीएसआरएपी नियमावली, 2025 के भाग-IV के 'नियम 19' के अंतर्गत परिभाषित किया गया है ।
ग. “परिषद” से अभिप्राय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) से है ।
घ. “सरकार” से अभिप्राय भारत सरकार से है ।
ड. "अध्यक्ष" से अभिप्राय सीएसआईआर के अध्यक्ष से है ।
च. “सेवा” से अभिप्राय सीएसआईआर में सेवा से है ।
छ. ''छानबीन एवं चयन समिति'' से अभिप्राय 'नियम 7' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समितियों से है ।
ज. “उपाध्यक्ष” से अभिप्राय सीएसआईआर के उपाध्यक्ष से है ।

नोट: इन नियमों के अंतर्गत अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और संक्षिप्तियों का वही अभिप्राय तथा परिभाषा/व्याख्या होगी जैसी परिषाभा/व्याख्या सीएसआईआर के नियमों और विनियमों तथा उपविधियों, अथवा सीएसआईआर के कर्मचारियों पर लागू किन्हीं अन्य नियमों में दी गई है ।

5. पात्रता मानदंड:

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए । यह पद ऐसे सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद्/प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (टेक्नोक्रेट) को दिया जाएगा, जिसके पास पी.एचडी. डिग्री सहित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों/प्रयोगशालाओं/शैक्षणिक संस्थानों में 15 वर्षों का पोस्ट पी.एचडी. अनुभव हो, जिसके पास वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के प्रबंधन में कार्यक्रम प्रबंधन/नीति विकास/रोडमैप निर्माण में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ-साथ बहु-विषयक टीमों को प्रबंधित करने और प्रेरित करने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल और नेतृत्व गुण हों । उम्मीदवार की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

6. अधिसूचना/विज्ञापन:

अध्यक्ष, आरएबी, सीएसआईआर के पद का विज्ञापन दिया जाएगा और उसका व्यापक प्रचार किया जाएगा ।

7. छानबीन एवं चयन समिति का गठन एवं चयन की विधि:

क. अध्यक्ष, आरएबी का चयन महानिदेशक, सीएसआईआर की सिफारिश पर उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा गठित 'छानबीन एवं चयन समिति' द्वारा किया जाएगा । यदि उपाध्यक्ष पद पर कोई नहीं है, तो सीएसआईआर के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

ख. छानबीन एवं चयन समिति का गठन–

छानबीन एवं चयन समिति में समिति के अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे, जो इस प्रकार हैं:

महानिदेशक, सीएसआईआर	अध्यक्ष (पदेन)
तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद/विशेषज्ञ, जिनमें से कम से कम दो सीएसआईआर/डीएसआईआर से बाहर के होने चाहिए ।	सदस्य
वैज्ञानिक विभागों के सचिवों में से एक	सदस्य

नोट: यदि पद के लिए विचाराधीन उम्मीदवार भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव हैं, तो ऐसे मामले में, इस नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, छानबीन एवं चयन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी और महानिदेशक, सीएसआईआर सह-अध्यक्ष होंगे/होंगी ।

ग. चयन विधि:

i. छानबीन एवं चयन समिति (क) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों, (ख) प्राप्त नामांकनों पर विचार करेगी ।

ii. छानबीन एवं चयन समिति पात्र आवेदकों/नामांकित व्यक्तियों को लघुसूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) कर सकती है और उन्हें चर्चा के लिए बुला सकती है । समिति किसी आवेदक/नामांकित व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी उनकी उम्मीदवारी पर विचार कर सकती है ।

iii. छानबीन एवं चयन समिति की सिफारिशें महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी ।

8. वेतनमान:

अध्यक्ष का पद आरएबी, सीएसआईआर में वेतन स्तर - 16 (2,05,400-2,24,400) अथवा छानबीन एवं चयन समिति द्वारा अनुशंसित समेकित वेतन पर रखा जाएगा ।

9. नियुक्ति की अवधि

क. अध्यक्ष, आरएबी, सीएसआईआर के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष के कार्यकाल अथवा उस समय तक जब वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाएगी ।

ख. **अपवादी** परिस्थितियों में, कार्यकाल को अगले 3 वर्षों अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकता है ।

ग. कार्यकाल की अवधि केवल अपवादी मामलों में नवीकरणीय होगी । यदि उचित प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है तो आपातकालीन परिस्थितियों में उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा छह माह से अधिक की अवधि के लिए अंतरिम विस्तार दिया जा सकता है । उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा गठित इन नियमों के नियम 7 के तहत निर्धारित समान गठन की एक समिति द्वारा कार्यकाल में विस्तार पर विचार किया जाएगा । समिति की सिफारिश को उपाध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा स्वीकार किया जाएगा । समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने के किसी भी प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष, सीएसआईआर (प्रधान मंत्री-पदेन) के अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

10. नियुक्ति प्राधिकारी

अध्यक्ष, आरएबी के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी, सीएसआईआर के अध्यक्ष होंगे ।

11. विशेष प्रावधान:

क. आपात स्थिति या पद भरने में देरी या किसी भी कारण से अध्यक्ष, आरएबी की अनुपलब्धता के मामले में, अध्यक्ष, सीएसआईआर, उपाध्यक्ष, सीएसआईआर की सिफारिशों पर, अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं ।

ख. अध्यक्ष, आरएबी की नियुक्ति के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर अध्यक्ष, सीएसआईआर द्वारा अनुमोदित की जाएंगी ।

****

"Recruitment Rules, 2025 for the post of Chairperson, RAB, CSIR"

1. Enactment:

In exercise of powers conferred under Bye-law 11 of the Rules & Regulations and Byelaws of CSIR, the Governing Body of CSIR formulates the following Recruitment Rules for the post of Chairperson, RAB, CSIR to be placed in Recruitment and Assessment Board (RAB) of CSIR.

2. Short Title & Enactment:

These Rules shall be called "Recruitment Rules, 2025 for the post of Chairperson, RAB, CSIR" to be placed in Recruitment and Assessment Board (RAB) of CSIR and shall come into force with effect from the date of notification.

3. Scope of Rules:

These Rules shall govern recruitment and appointment to the post of Chairperson, RAB, CSIR.

4. Definitions:

In these rules, unless the context otherwise requires: -

a. "Appointing Authority" means the authority as specified in 'Rule 10'

b. "Board" means Recruitment and Assessment Board (RAB) established by CSIR as defined under 'Rule 19' of Part-IV of CSRAP Rules, 2025.

c. "Council" means Council of Scientific and Industrial Research (CSIR).

d. "Government" means the Government of India.

e. "President" means the President of the CSIR.

f. "Service" means service in the CSIR.

g. "Search-cum-Selection Committee" means the Committees specified under 'Rule 7'.

h. "Vice-President" means the Vice-President of the CSIR.

Note: All other words and abbreviations, which are not defined under these Rules, shall have the same meaning and definition/ interpretation as given in the Rules & Regulations and Bye-laws of CSIR, or any other Rules applicable to the employees of the CSIR.

5. Eligibility Criteria:

The applicant must be citizen of India. This position will be offered to a retired eminent Scientist/Technologist/ Technocrat with a Ph.D. degree with a 15-years post PhD experience in R&D Institutes / Labs / Academic Institutes with a proven track record in program management / policy development / roadmap creation in the management of Scientists and Technologists along with excellent communication skills and leadership qualities to manage and motivate multidisciplinary teams. The candidate shall be aged not above 67 years.

6. Notification / Advertisement:

The post of Chairperson, RAB, CSIR shall be advertised and given wide publicity.

7. Constitution of Search Cum Selection Committee and Method of selection:

a. The Selection of the Chairperson RAB shall be made by a 'Search-cum-Selection Committee' to be constituted by the Vice President, CSIR, on the recommendation of DG, CSIR. In case, there is no Vice-President in position, approval of the President, CSIR shall be obtained.

b. **Constitution of Search Cum Selection Committee–**

The search cum selection committee shall consist of 5 members including chairperson of the committee as under:

DG, CSIR	Chairperson (Ex-officio)
Three eminent Scientists / Technologists / Experts, at least two out of which should be external to the CSIR / DSIR	Members
One of the Secretaries of the Scientific Departments	Member

Note: If the candidates being considered for the post is a retired Secretary to the Govt. of India, in such case, notwithstanding anything contained in this rule, the Search cum Selection Committee shall be chaired by the Cabinet Secretary and DG, CSIR shall be the co-chairperson.

c. Selection Method:

i. The Search-cum-Selection Committee shall consider (a) applications received in response to advertisement, (b) nominations received.

ii. The Search-cum-Selection Committee may shortlist eligible applicants/ nominees and invite them for discussion. The Committee may also consider the candidature of an applicant/ nominee in absentia.

iii. The recommendations of the Search-cum-Selection Committee shall be submitted by DG, CSIR to the appointing authority for approval.

8. Scale of Pay:

The post of Chairperson will be placed at RAB, CSIR in Pay level – 16 (2,05,400-2,24,400) or such consolidated pay as may be recommended by the Search Cum Selection Committee.

9. Tenure of Appointment

a. The appointment to the post of Chairperson, RAB, CSIR shall be made for a tenure of 3 years or up to 70 years, whichever is earlier.

b. In exceptional circumstances, tenure may be extended by another 3 years or up to 70 years, whichever is earlier.

c. The tenure of period will be renewable only in exceptional cases. Interim extension for a period not exceeding six months may be granted by VP, CSIR under emergent circumstances if the due process is likely to take time. Extension in tenure shall be considered by a committee of the similar constitution as prescribed under Rule 7 of these rules to be constituted by VP, CSIR. The committee's recommendation shall be accepted by VP, CSIR. Any proposal to reject the recommendations of the Committee will require the approval of President, CSIR (Prime Minister-ex-officio).

10. Appointing Authority

The Appointing Authority for the position of Chairperson, RAB shall be the President, CSIR.

11. Special Provision:

a. In case of exigencies or due to delays in filling up of the position or non-availability of the Chairperson, RAB for any reason whatsoever, the President, CSIR, on the recommendations of the VP, CSIR, may appoint a chairperson for a period not exceeding one year.

b. The terms and conditions of the appointment of the Chairperson, RAB shall be such as may be approved by the President, CSIR, from time to time.

****